तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर आहका हुक्म की जा
	राकेश ... बनाम शिवपाल प्रा०पत्र आस्थाई नि० आज्ञा ... 62/2025	
13.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.6.25 को पेश हो।	
17.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता 6 दस्तावेज पेश किये एंव वकील प्रार्थी ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता– 10 दस्तावेज पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 27.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
27.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 03.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
03.07.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने ... प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर ...0/2 रकबा 1.8677 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1058, 1060, 1061/1891 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टर तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियाँ पूर्वकाल में शिवनाथ पुत्र बीजा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) लगातार---	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	खतीक के नाम खातेदारी में दर्ज रही है व सम्वत 2046 से 2049 की जमाबन्दी मे भी नाम अंकित है। इसके बाद सम्वत् 2050–2053 की जमाबन्दी मे शिवनाथ की मृत्युपरान्त उक्त भूमि उनकी वारिसान जो अप्रार्थीगण व उनके बुजुर्गान के नाम अंकित रहे है। उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण व समस्त अप्रार्थीगण की पैतृक भूमियॉ है। पक्षकारान में से किसी की भी उक्त भूमियां स्वअर्जित नहीं है व प्रार्थीगण का उक्त भूमियां में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में 1/5 हिस्सा प्रारम्भतः जन्मजात ही है व रहा है एंव अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमियां उनकी स्वअर्जित नहीं होने के कारण इन्हे विक्रय आदि के जरिये अन्तरित करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। पिछले कुछ समय से अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 4 प्रार्थी व उसके परिवार से रंजिश व द्वेषभाव रखते है तथा प्रार्थी व उसके परिजनों का अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 की बहकावे मे आकर तिरस्कार करता है। प्रार्थी व उसकी पत्नी व बच्चों को अपमानित करते रहते है एंव प्रार्थी व उसकी पत्नि की स्वअर्जित संपदा को जो अजीतगढ में स्थित है को हड़पने हेतु प्रयासरत रहते है व प्रार्थी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन व परिवार के उदर पोषण के एकमात्र जरिये दुकान के संचालन में गंभीर बाधा पैदा करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 के वर्तमान में अप्रार्थी नम्बर 2 सरकारी सेवा में अच्छे पद पर नियुक्त है के पूर्ण बहकावे व उसके अनुचित प्रभाव में है एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 मिलकर प्रार्थी के विधिक एंव सांपतिक हक हकूको को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाकर प्रार्थी व उसके परिवारजनों पुत्र, पुत्री व पत्नि को वर्बाद कर देना चाहते है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 झूठे दस्तावेजात इत्यादि प्रार्थी के हक की सम्पत्ति को [illegible] व प्रार्थी [illegible] सम्पत्ति से वंचित कर देने के दुराशय से [illegible] अप्रार्थी 2 ता 4 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद मु[illegible] 59/22 आवासीय व व्यावसायिक संपदा बाबत सिविल न्यायालय में पेश करवाया हुआ है। उक्त वाद में कोई अनुतोष नहीं मिलने की स्थिति में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को पैत्रृक भूमि से वंचित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने शिवनाथ के [illegible] के अनुसार आने वाले हिस्से में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लगातार-----

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

सर्वाधिक मूल्यावान हिस्सा जो लगभग 90 मीटर चौड़ाई मुख्य बाईपास सड़क पर है पर जबरन निर्माण करके प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि के हक हिस्से से वंचित करके नाजायज रूप से प्रार्थी का हिस्सा हड़पना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी सं 1 से मिलकर व माता को भी साथ लेकर एक विक्रयपत्र भूमि खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.13 हैक्टर, 1061/1891 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 0.47 हैक्टर मे 1/4 हिस्से की भूमि का विक्रय लेख मूल्यांकन राशि 2,27,000/- रूपये का गुपचुप मे दिनांक 16.7.2024 को अप्रार्थी स.1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में करवा दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी। प्रार्थी अधिकांशत अपने जीविकोपार्जन हेतु अजीतगढ में रहता है। वादग्रस्त भूमि में 90 फुट गुणा 210 फुट भूमि का टुकडा जो पैतृक होकर प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के संयुक्त हक का है, जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के मध्य कोई विधिक या वास्तविक जुबानी या लिखित कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जिस पर अप्रार्थी सं. 2 ता 3 जोर जबरन तेजी से निर्माण करने पर आमादा है। इनके निर्माण करने से पैत्रृक संपदा में प्रार्थी का हक हिस्सा समाप्त हो जावेगा। उक्त विक्रय लेख पूर्णतया झूंठा, अवैध एंव नुमाईशी दस्तावेज है जो मात्र प्रार्थी व उसके पुत्र पुत्री के हकों को हड़पने के दुराशय से निष्पादित व पंजीबद्ध कराया है। जो प्रार्थी के हक हिस्से तक कलअदम व बेअसर है व उक्त विक्रय पत्र नुमाईशी व साजिश से प्रार्थी के विरूद्ध निष्पादित करवाया है। प्रार्थी वादग्रस्त सम्पदा के पैतृक होने से व दादा के समय की होने के कारण उनके स्वर्गवास के साथ ही हिस्सेदार हो गया था व पैतृक संम्पदा खुर्द बुर्द करने का अप्रार्थीगण 1 ता 4 को कोई हक [illegible] नहीं है। प्रार्थी को वादग्रस्त सम्पदा जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ही [illegible] जिसका विक्रयपत्र अप्रार्थीगण संख्या 2 [illegible] निष्पादित करवाया है। उसमें प्रार्थी 1/5 हक हिस्से के खातेदा[illegible] की घोषणा करवाने का विधिक हक प्राप्त होने से घोषणा करवाया जाना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन बहक प्रार्थी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

(सत्य प्रतिलिपि) अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लगातार-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तथा निषेधाज्ञा जारी नही होने पर गंभीर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी क्योंकि अवैध पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 मौके पर जोर जबरन से समस्त पैतृक भूमि में बिना किसी रूपान्तरण के व्यावसायिक व आवासीय निर्माण करने की धमकी दे रहे है। जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार से नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वकील प्रार्थी ने बहस उपरान्त निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. आर. आर. डी. 1978 पेज संख्या 375
2. आर. आर. डी. 1982 पेज संख्या 493
3. आर. आर. डी. 1982 पेज संख्या 159

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 ने अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों से पक्षकारान् प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के मध्य हुये आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन दिनांक 08.02.2021 व उसकी प्रार्थी द्वारा पालना नहीं करने व स्वंय की स्वीकारोक्ति से मुकर जाने के पश्चात् विवादित सम्पदा में प्रार्थी का किसी भी तरह का कोई संम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी ने अपने अन्य भाईयों अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 1 पिता के अधिकारों पर जानबूझकर कुठाराघात करने की मंशा से स्वंय के स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति के समस्त तथ्यों को छुपाकर बदनियति से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एंव प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टवा ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ईच्छा, सहमति व ... अप्रार्थी सं. 1 द्वारा निजी आमदनी से प्रार्थी व ... पत्नि सुमित्रा, अप्रार्थी सं. 2 सत्यनारायण, अप्रार्थी सं. 3 श्रवण कुमार व स्वंय एंव पत्नि शांति देवी के नाम से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भिन्न भिन्न समय पर अपनी आमदनी व बचत अनुसार उक्तानुसार के नाम खंरीदशुदा सम्पत्ति का उक्त चारों पुत्रों की लिखित सहमति से दिनांक 08.02.2021 को सभी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

लगातार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
राधेश्याम बनाम रिछपाल प्रा० पत्र - अस्थाई निषे० मु.नं. 62/2025	

नाम के 500/– रूपयें के स्टाम्प पर पारिवारिक बंटवारा लेख तैयार करके विभाजन कर दिया था। जिस पर सभी के हस्ताक्षर करके फोटो सहित नोटेरी से तस्दीक करवा दिया था। जिसकी प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अवहेलना की गई। जिससे अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को मानसिक रूप से काफी पीडा होने तथा प्रार्थी को सभी के द्वारा समझाने पर भी लालचवश प्रार्थी पर कोई असर नहीं होकर प्रार्थी द्वारा पिता व अन्य भाईयों के हिस्से की सम्पत्ति पर नाजायज रूप से मालिकाना हक जताने व विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 की पालना नहीं करने से प्रार्थी, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित सम्पत्ति में किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 को उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की सहमति व स्वीकृति से अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के हिस्से में आनी थी। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 रिछपाल द्वारा सत्यनाराण व श्रवण कुमार के नाम से उक्त वर्णित सम्पत्ति का दिनांक 16.07.2024 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाने के बाद अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने दिनांक 25.04.2025 को अपने साथ में उक्त भूमि अपने बराबर ही अप्रार्थी सं. 4 कुन्दनमल को शामिल करने के लिए उसके नाम से विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के मन में किसी भी तरह की बदनियति नहीं है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की सम्पूर्ण कार्यवाहियॉं विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 की पालना में की गई है व अब उक्त भूमि में किया जाने वाला निर्माण कार्य भी प्रार्थी की सहमति से उक्त विभाजन लेख की पालना में ही किया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारा दिनांक 08.02.2021 के अनुसार विवादित भूमि व पिता द्वारा स्वंय की आमदनी से अर्जित की गई अन्य स[illegible] सम्पदाओं का पिता द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी [illegible] स्वैच्छिक सहमति व स्वीकृति के अनुसार दिनांक [illegible].02.2021 को लिखित विभाजन होकर 500/– रूपये के स्टाम्प पर विधिवत रूप से नोटेरी से तस्दीक करवाया गया है। जिसके अनुसार विवादित भूमि व पिताजी द्वारा अर्जित सम्पदा में प्रार्थी ने स्वंय के हिस्से में आई सम्पदा के अलावा अजीतगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 1 पिता व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

लगातार---

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सत्यनारायण व श्रवण कुमार के हिस्से में आई करोड़ों रूपयों की सम्पदा पर भी जबरन काबिज है। मुताबिक विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने व पत्नि सुमित्रा के नाम दर्ज सम्पत्तियाँ जो पिता रिछपाल व भाई सत्यनारायण व श्रवण कुमार के हिस्से की है, को उन्हे देने से स्पष्ट इंकार हो गया है तथा पिता द्वारा इस हेतु दवाब बनाने पर पिता व माँ शांति देवी को मारपीट व घसीटकर बाहर निकालने पर प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना अजीतगढ़ व श्रीमाधोपुर में भिन्न भिन्न समय पर एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है तथा उक्त प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की है। मुताबिक विभाजन लेख विवादित भूमि के हिस्से के बदले पिता अप्रार्थी संख्या 1 रिछपाल द्वारा अपने स्वंय द्वारा अर्जित सम्पदा में से अजीतगढ़ स्थित सम्पदा में प्रार्थी को हिस्सा दिया जा चुका है। विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 में प्रार्थी ने स्वंय विवादित सम्पदा में अपना हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया है। विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 में स्वंय की स्वीकारोक्ति के विपरित किसी तरह का कथन करने व विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी विभाजन लेख दिनांक 08.02.2021 से पूर्णतया पाबन्द होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में किया है।
	हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् को ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबन्दियाँ, 2028–2031, आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत् 2042, 2046–2049, [illegible], खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी, नामान्तकरण [illegible] 138 [illegible] विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 16.07.2024 की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1059/2 रकबा 1.8677

लगातार----

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

शम्भेरयाम बनाम रिछपाल

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा०पत्र-आंस्पाई निर्ले. प्र.न.- 62/2025

हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1058, 1060, 1061/1891 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 हैक्टर तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी पूर्वकाल में शिवनाथ पुत्र बींजा खटीक के नाम खातेदारी में जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 के अनुसार दर्ज रिकार्ड होना तथा शिवनाथ पुत्र बींजा की मृत्युपरान्त उक्त भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2050-2053 में उनके वारिसान् अप्रार्थीगण व उनके बुजुर्गान के नाम अंकित रहे है। जिससे उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण व समस्त अप्रार्थीगण की पैत्रृक भूमियॉ होना विदित होता है। इस प्रकार उक्त भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में 1/5 हिस्सा प्रार्थी का प्रारम्भतः जन्मजात ही होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 रिछपाल पुत्र शिवनाथ के द्वारा उक्त भूमि का बैचान अपने सुपुत्रों में से सत्यनारायण व श्रवण कुमार पुत्रगण रिछपाल सिंह चौहान जाति खटीक को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 16.07.2024 को किया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है। जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 में उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी शिवनाथ पुत्र बींजा खटीक के नाम व शिवनाथ पुत्र बींजा की मृत्युपरान्त उक्त भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2050 - 2053 में उनके वारिसान् अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 रिछपाल पुत्र शिवनाथ को अपने पिता शिवनाथ से जरिये विरासतन प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैत्रृक भूमि होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। उक्त वाद[illegible] की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का [illegible] के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 16.07.2024 [illegible] द्वारा किया जाना प्रमाणित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के पैत्रृक भूमि होने एंव प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के जायन्दा पुत्र होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का हित निहित होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या

लगातार---

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	... द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बेचान अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को किये जाने एव उक्त बेचान में प्रार्थी की सहमति बगैर किसी लेख पर हस्ताक्षर नहीं होने से वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी का हित प्रभावित होना प्रतीत होता है। जहाँ तक अप्रार्थीगण का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से हुए पारिवारिक विभाजन दिनांक 08.02.2021 को हो जाने तथा उसकी पालना प्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने का प्रश्न है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एव उभय पक्षकारान के कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पारिवारिक विभाजन पैतृक भूमियों एव अन्य सम्पत्तियों को शामिल करते हुए लिखा गया, जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने बाबत आक्षेप अप्रार्थीगण द्वारा किया गया है। यहाँ न्यायालय का मत है कि किसी भी तरह के संविदा की पालना हेतु पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है। जहाँ तक पैतृक भूमि का प्रश्न है, उसमें प्रार्थीगण का हित प्रथम दृष्टया होना प्रकट होता है।
	इस प्रकार प्रार्थी का वादग्रस्त विरासतन पैतृक भूमि में प्रथम दृष्टया हित निहित होने व दावें में उनका हक अधिकार तय होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होने व इससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना भी प्रकट होता है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि के भविष्य में होने वाली खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने व वाद बाहुल्यता को बढने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।
	:: क्रियात्मक [illegible] ::
	अत: [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

लगातार---

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1059/2 रकबा 1.8677 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1058, 1060, 1061/1891 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5000 हैक्टर वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वादपत्र के निस्तारण तक बनाये रखे तथा अप्रार्थीगण इकरारनामा बाबत पारिवारिक बंटवारा लेख दिनांक 08.02.2021 की पालना सक्षम न्यायालय से करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested